आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक–4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर–302015, राजस्थान
वेब साईट–http:/hte.rajasthan.gov.in/dept/dce
ई.मेल–hrd.cce@gmail.com फोन न. 0141–2705471

क्रमांकः–एफ.1(01)स्था/आकाशि/ई–पेंशन/2021/121 दिनांकः– 06/12/2022

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय/विधि महाविद्यालय
राजस्थान।

विषयः– पेंशन प्रपत्रों को ऑन–लाईन 'ई–पेंशन' के माध्यम से अग्रेषित करने हेतु दिशा–निर्देश बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि IFPMS की वेबसाइट पर कार्मिक की Employee ID लॉगिन पर निम्नानुसार दिशा–निर्देश के अनुसार पेंशन कुलकों को ऑनलाईन अग्रेषित करना सुनिश्चित करें:–

1. कार्मिक के **ई–पेंशन कुलकों को भरने से पूर्व** DDO पे–मेनेजर लॉगिन पर कार्यालयध्यक्ष/HO की multiple HO Marking का होना अनिवार्य है।
2. महाविद्यालयों के कार्मिकों के लिए महाविद्यालय के कार्यालयाध्यक्ष को प्रथम HO एवं प्राचार्यों के लिए विभाग के कार्यालयाध्यक्ष (Office Code- 11503) को द्वितीय HO mark किया जाना अनिवार्य है।
3. प्रथम HO mark करने की प्रक्रिया :– महाविद्यालय के DDO पे–मेनेजर लॉगिन > Master ऑप्शन > Add HO details > Office Code में कार्यालय की DDO ID डालें > प्राचार्य/कार्यालयाध्यक्ष/कार्यवाहक प्राचार्य को सिलेक्ट करें > सबमिट।
4. द्वितीय HO mark करने की प्रक्रिया :– महाविद्यालय के DDO पे–मेनेजर लॉगिन > Master ऑप्शन > Add HO details > Office Code में आयुक्तालय की DDO ID- 11503 डालें > आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के कार्यालयाध्यक्ष को सिलेक्ट करें (हाल कार्यालयाध्यक्ष डॉ. राम चरण मीना) > सबमिट।
5. HO marking के पश्चात् IFPMS की वेबसाइट पर Employee ID लॉगिन पर ध्यानपूर्वक ई–पेंशन कुलकों को भरकर महाविद्यालय के सभी कार्मिक **महाविद्यालय के कार्यालयाध्यक्ष** को ऑनलाईन अग्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
6. प्राचार्य **विभाग के कार्यालयाध्यक्ष** को ऑनलाईन अग्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
7. पेंशन विभाग के निर्देशानुसार कार्यवाहक प्राचार्य स्वयं के पेंशन प्रकरण अन्य कार्मिक जिन्हे अग्रिम चार्ज दिया जाना हो, उन्हें HO mark कर कॉलेज स्तर से सीधे ही पेंशन विभाग को प्रकरण ऑनलाईल भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त बिन्दुओं की पालना कर ही पेंशन केस तैयार कर अग्रेषित किये जावें अन्यथा स्थिति में पेंशन प्रकरण के निस्तारण में हुए विलम्ब का कार्मिक स्वयं जिम्मेदार होगा।

01/12/2022
(डॉ0 आर0सी0 मीना)
संयुक्त निदेशक (HRD)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ.1(01)स्था/आकाशि/ई–पेंशन/2021/121 **दिनांकः** 06/12/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
2. वेबसाईट प्रभारी, वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. रक्षित पत्रावली।

01/12/2022
(डॉ0 आर0सी0 मीना)
संयुक्त निदेशक (HRD)

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक–4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर–302015, राजस्थान
वेब साईट–http:/hte.rajasthan.gov.in/dept/dce
ई.मेल–hrd.cce@gmail.com फोन नं. 0141–2705471

क्रमांकः–एफ.1(01)स्था / आकाशि / ई–पेंशन / 2021 / 448 **दिनांकः– 24/01/2022**

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय / विधि महाविद्यालय
राजस्थान।

विषयः– पेंशन प्रपत्रों को ऑन–लाईन 'ई–पेंशन' के माध्यम से प्रस्तुत करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पेंशन प्रपत्रों को ऑन–लाईन मोड्यूल 'ई–पेंशन' के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है। इससे सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी / कर्मचारी द्वारा सुगमता से पेंशन प्रपत्र ई–पेंशन मोड्यूल पर ऑन लाईन तैयार कर कार्यालयध्यक्ष को तथा कार्यालयध्यक्ष भी पेंशन विभाग को ऑन लाईन प्रेषित कर सकेंगे। प्रकरण की रियल टाईम पर ऑन लाईन ट्रेकिंग भी की जा सकेगी।

सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी द्वारा पेंशन प्रपत्र ऑन लाईन प्रस्तुत किये जाने पर उनके द्वारा प्रस्तुत पेंशन प्रकरण कार्यालयध्यक्ष के पे–मैनेजर लॉग इन पर प्रदर्शित होंगे तथा समुचित जांच उपरान्त प्रकरण पेंशन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को अग्रेषित किये जायेंगे। प्रकरण नियमानुसार सही पाये जाने पर पेंशन विभाग द्वारा अधिकृतियां जारी कर ऑन लाईन ही कार्यालयध्यक्ष, कोषाधिकारी तथा संबंधित कर्मचारी को प्रेषित की जा सकेगी। सुलभ संदर्भ हेतु e pension module का User Manual विभागीय वेबसाइट www.pension.raj.nic.in पर उपलब्ध है।

वित्त विभाग द्वारा कॉलेज शिक्षा, राजस्थान विभाग को 'ई–पेंशन' को लागू किये जाने वाले विभागों की सूची में शामिल किया गया है। अतः आपके अधीनस्थ कार्यरत एक उत्तदायी अधिकारी को 'ई–पेंशन' के अन्तर्गत नोडल अधिकारी मनोनीत कर आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करें। नोडल अधिकारी को इस मोड्यूल ई–पेंशन के बारे में दिनांक 17 फरवरी 2022 को वर्चअुल प्रशिक्षण भी दिया जाना प्रस्तावित है। अतः उक्त नोडल अधिकारी मनोनयन की सूचना शीघ्र ही ई.मेल–hrd.cce@gmail.com पर आवश्यक रूप से प्रेषित करें।

24/01/2022
(डॉ0 आर0सी0 मीना)
संयुक्त निदेशक (HRD)
कालेज शिक्षा, राज0, जयपुर।

क्रमांकः–एफ.1(01)स्था / आकाशि / ई–पेंशन / 2021 / **दिनांकः**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
2. वेबसाईट प्रभारी, वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
3. रक्षित पत्रावली।

(डॉ0 आर0सी0 मीना)
संयुक्त निदेशक (HRD)
कालेज शिक्षा, राज0, जयपुर।

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक–4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर–302015, राजस्थान
वेब साईट–http:/hte.rajasthan.gov.in/dept/dce
ई.मेल–hrd.cce@gmail.com फोन नं. 0141–2705471

क्रमांकः–एफ.1(01)स्था/आकाशि/ई–पेंशन/2021/933 दिनांकः– 29.06.2022

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय/विधि महाविद्यालय
राजस्थान।

विषयः– पेंशन प्रपत्रों को ऑन–लाईन 'ई–पेंशन' के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु।
सन्दर्भः– पेंशन विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र प5 (311)निपेवि/नियम/2019/पार्ट–II/1894–H दिनांक 20.06.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि पेंशन कुलकों के ऑनलाईन/सरलीकरण हेतु वित्त विभाग के निर्देशों की पालना में विकसित किये गये ऑन–लाईन मोड्यूल 'ई–पेंशन' के माध्यम से ही दिनांक 01.07.2022 से सभी नवीन पेंशन प्रकरण स्वीकार किये जायेंगे एवं ई–पेंशन मॉड्यूल के माध्यम से ही निस्तारित किये जायेंगे। दिनांक 01.07.2022 एवं उसके पश्चात् के सभी नवीन पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग की वेबसाइट www.pension.raj.nic.in पर ई–पेंशन मॉड्यूल के माध्यम से ही भिजवाये जायेंगे।

अतः सभी कार्यालयध्यक्ष यह भी सुनिश्चित करें कि संबंधित कार्मिक द्वारा पेंशन प्रकरणों को उपरोक्तनुसार ऑनलाईन ही भिजवाया जावे।

पारिवारिक पेंशन प्रकरण, प्रोविजनल पेंशन प्रकरण एवं संशोधित (Revision) पेंशन प्रकरण पूर्व की भाँति ऑफलाईन ही भिजवाये जायेंगे।

संलग्नः– पेंशन विभाग का पत्र।

29/6/22
(डॉ0 आर0सी0 मीना)
संयुक्त निदेशक (HRD)
कालेज शिक्षा, राज0, जयपुर।

क्रमांकः–एफ.1(01)स्था/आकाशि/ई–पेंशन/2021/933 दिनांकः 29.06.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
2. वेबसाईट प्रभारी, वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
3. रक्षित पत्रावली।

29/6/22
(डॉ0 आर0सी0 मीना)
संयुक्त निदेशक (HRD)
कालेज शिक्षा, राज0, जयपुर।

राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण,
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) 302005
ईमेल – dir-pen-rj@nic.in दूरभाष न. 0141–2740538, 2741687
वेबसाईट :– rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in

भीम

दिनांक :– 20-06-22

क्रमांक :– प.5(311) निपेवि/नियम/ 2019/पार्ट II/1894 – H

परिपत्र

समस्त विभागाध्यक्ष,
....

पेंशन कुलक के ऑनलाईन/सरलीकरण हेतु वित्त विभाग के निर्देशों की पालना में विकसित किये गये मोड्यूल से ही 01.07.2022 से सभी नवीन पेंशन प्रकरण स्वीकार किये जायेगे एवं ई–पेंशन मॉड्यूल के माध्यम से ही निस्तारित किये जायेंगे। अतः कृपया सभी विभागाध्यक्ष 01.07.2022 एवं उसके पश्चात समस्त नवीन पेंशन प्रकरणों को पेंशन विभाग की वेबसाइट www.pension.raj.nic.in पर ई–पेंशन मॉड्यूल के माध्यम से **ऑनलाईन ही भिजवाना** सुनिश्चित कराने का श्रम करें। साथ ही निवेदन है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों के पेंशन प्रकरणों को भी उपरोक्तानुसार **ऑनलाईन ही भिजवाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का श्रम करें।**

ऑनलाईन पेंशन आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रियात्मक जानकारी यूजर मेनुअल (User Manual) के रूप में इस विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में तकनीकी प्रशिक्षण सभी विभागों को पेंशन निदेशालय द्वारा दिया जा चुका है।

पारिवारिक पेंशन प्रकरण, प्रोविजनल पेंशन प्रकरण एवं संशोधित (Revision) पेंशन प्रकरण **पूर्व की भाँति** ऑफलाईन ही भिजवाये जाये।

20/6/2022
(संजय सोलंकी)
निदेशक

दिनांक :–

कमांक :– प.5(311) निपेवि/नियम/ 2019/पार्ट II/
प्रतिलिपि :–

1. शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (पेंशन) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)/(मुख्यालय)/(नियम) कार्यालय हाजा।
4. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर अजमेर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/भरतपुर।
5. उप महानिदेशक/वरिष्ठ उपनिदेशक एन.आई.सी. ।
6. उप निदेशक कम्प्यूटर शाखा कार्या. हाजा।
7. निजी सचिव निदेशक पेंशन कार्या. हाजा।

अतिरिक्त निदेशक (नियम)

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक–4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर–302015, राजस्थान
वेब साईट–http:/hte.rajasthan.gov.in/dept/dce
ई.मेल–hrd.cce@gmail.com फोन नं. 0141–2705471

क्रमांकः–एफ.1(01)स्था/आकाशि/ई–पेंशन/2021/883 **दिनांकः–** 10.06.2022

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय/विधि महाविद्यालय
राजस्थान।

विषयः– पेंशन प्रपत्रों को ऑन–लाईन 'ई–पेंशन' के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु प्रशिक्षण बाबत्।
सन्दर्भः– विभाग का पत्र क्रमांक एफ.1(01)स्था/आकाशि/ई–पेंशन/21/513 दिनांकः 17.02.22

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि पेंशन प्रपत्रों को ऑन–लाईन मोड्यूल 'ई–पेंशन' के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु e-pension module का User Manual विभागीय वेबसाइट www.pension.raj.nic.in पर उपलब्ध है।

पेंशन विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र एफ.12(26)/कम्प्यू/आईएफपीएमएस/30–यू दिनांक 07.06.2022 के द्वारा पेंशन प्रपत्रों को ऑन–लाईन प्रस्तुत करने हेतु 'ई–पेंशन' मोड्यूल को **दिनांक 01.07.2022** से प्रदेश के समस्त विभागों के साथ–साथ उच्च शिक्षा में भी लागू किया जाना है।

जिसके सम्बन्ध में पेंशन विभाग द्वारा प्रदेश के शिक्षा विभाग (राजकीय महाविद्यालयों प्राचार्यों/नोड़ल अधिकारियों एवं सम्बन्धित कार्मिकों) को ई–पेंशन द्वारा पेंशन प्रपत्रों को प्रस्तुत करने हेतु प्रशिक्षण देने हेतु निम्नानुसार वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है–

क्र. स.	महाविद्यालय	दिनांक व समय	ट्रेनिंग लिंक
1.	जयपुर, अजमेर, भरतपुर, संभाग के अधीन समस्त राजकीय/विधि महाविद्यालय	14.06.2022 प्रातः 11.30 से 1.00 तक	पेंशन विभाग के पत्रानुसार
2.	कोटा, जोधपुर, उदयपुर एवं बीकानेर संभाग के अधीन समस्त राजकीय/विधि महाविद्यालय	15.06.2022 प्रातः 11.30 से 1.00 तक	पेंशन विभाग के पत्रानुसार

उक्त ऑनलाइन प्रशिक्षण में प्राचार्य/कार्यालयाध्यक्ष/नोड़ल अधिकारी एवं सम्बन्धित कार्मिक अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए यह भी सुनिश्चित करें कि सभी **कार्यालयध्यक्षों के पास वैध डिजिटल हस्ताक्षर हो तथा कार्यालयाध्यक्ष की पे–मेनेजर पर मार्किंग भी हो।**

संलग्नः– पेंशन विभाग का पत्र।

(डॉ0 आर0सी0 मीना)
संयुक्त निदेशक (HRD)
कालेज शिक्षा, राज0, जयपुर।

क्रमांकः–एफ.1(01)स्था/आकाशि/ई–पेंशन/2021/883 **दिनांकः** 10.06.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
2. वेबसाईट प्रभारी, वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
3. रक्षित पत्रावली।

(डॉ0 आर0सी0 मीना)
संयुक्त निदेशक (HRD)
कालेज शिक्षा, राज0, जयपुर।

राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण,
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) 302005
ईमेल – dir-pen-rj@nic.in दूरभाष न. 0141–2740538, 2741687
वेबसाईट :– pension.raj.nic.in

क्रमांक :– एफ.12 (26)/कम्प्यू./आईएफपीएमएस/10/30-U

दिनांक : 7/06/2022, 8/6/22

समस्त विभागाध्यक्ष
राजस्थान।

483
8/6/22

विषयः– पेंशन प्रपत्रों को ऑन लाईन 'ई–पेंशन' के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु प्रशिक्षण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पेंशन प्रपत्रों को ऑन लाईन मोड्यूल 'ई–पेंशन' के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है। इससे सेवानिवृत्त होने वाले राजकीय अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सुगमता से पेंशन प्रपत्र ई–पेंशन मोड्यूल पर ऑन लाईन तैयार कर कार्यालयाध्यक्ष को तथा कार्यालयाध्यक्ष भी पेंशन विभाग को ऑन लाईन प्रेषित कर सकेगें। प्रकरण की रियल टाईम पर ऑन लाईन ट्रेकिंग भी की जा सकेगी।

सेवानिवृत्त होने वाले राजकीय कर्मचारी द्वारा पेंशन प्रपत्र ऑन लाईन प्रस्तुत किये जाने पर उनके द्वारा प्रस्तुत पेंशन प्रकरण कार्यालयाध्यक्ष के पे–मैनेजर लॉग इन **(Pay Manager Log-in)** पर प्रदर्शित होंगे तथा समुचित जांच उपरान्त प्रकरण पेंशन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को अग्रेषित किये जायेंगे। प्रकरण नियमानुसार सही पाये जाने पर पेंशन विभाग द्वारा अधिकृतियां जारी कर ऑन लाईन ही कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी तथा संबधित कर्मचारी को प्रेषित की जा सकेगी। सुलभ संदर्भ हेतु **e Pension module** का **User Manual** विभागीय वेबसाइट **www.pension.raj.nic.in** पर उपलब्ध है।

शासन सचिवालय, जयपुर एवं वित्त विभाग से सम्बंधित 7 विभागों में सुचारू रूप से संचालन के पश्चात् अन्य राजकीय विभागों में 'ई–पेंशन' को दिनांक 01.07.2022 से लागू किया जाना है। अतः आपके विभाग द्वारा मनोनित नोडल अधिकारी द्वारा ई–पेंशन सम्बन्धी निम्न कार्य सम्पादित किए जायेंगे –

(i) मास्टर ट्रेनर के रूप में विभागाध्यक्ष के नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयाध्यक्षों तथा सम्बन्धित कार्मिकों को ई पेंशन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(ii) कार्यालयाध्यक्ष की ई पेंशन सम्बन्धी तकनीकी एवं अन्य समस्याओं का समाधान सम्बन्धित क्षैत्रीय पेंशन कार्यालय से सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित करके करवाया जायेगा।

(iii) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी कार्यालयाध्यक्षों के पास वैध डिजिटल हस्ताक्षर हो तथा कार्यालयाध्यक्ष की पे मेनेजर पर **marking** हो।

इस संबंध में सभी नोडल अधिकारयों के लिए निम्नानुसार **virtual** प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अतः सभी नोडल अधिकारियों को उक्त ऑनलाइन प्रशिक्षण में उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करने का श्रम करावें।

राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण,
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) 302005
ईमेल – dir-pen-rj@nic.in दूरभाष न. 0141–2740538, 2741687
वेबसाईट :– pension.raj.nic.in

प्रशिक्षण कार्यक्रम

S.No	Department	Date & Time of virtual meeting	Training Link (Google Meet)
1.	शिक्षा विभाग (केवल जयपुर, अजमेर, भरतपुर संभाग के अधीन कार्यालय)	14-06-2022 11:30 AM to 01:00 PM	https://meet.google.com/hia-njay-jbc or Open Google Meet and enter this code: hia-njay-jbc or https://tinyurl.com/epension1
2.	शिक्षा विभाग (केवल कोटा, जोधपुर, उदयपुर एवं बीकानेर संभाग के अधीन कार्यालय)	15-06-2022 11:30 AM to 01:00 PM	https://meet.google.com/hia-njay-jbc or Open Google Meet and enter this code: hia-njay-jbc or https://tinyurl.com/epension1
3.	चिकित्सा विभाग (केवल जयपुर, अजमेर, भरतपुर संभाग के अधीन कार्यालय)	16-06-2022 11:30 AM to 01:00 PM	https://meet.google.com/hia-njay-jbc or Open Google Meet and enter this code: hia-njay-jbc or https://tinyurl.com/epension1
4.	चिकित्सा विभाग (केवल कोटा, जोधपुर, उदयपुर एवं बीकानेर संभाग के अधीन कार्यालय)	17-06-2022 11:30 AM to 01:00 PM	https://meet.google.com/hia-njay-jbc or Open Google Meet and enter this code: hia-njay-jbc or https://tinyurl.com/epension1
5.	पुलिस विभाग (केवल जयपुर, अजमेर, भरतपुर संभाग के अधीन कार्यालय)	20-06-2022 11:30 AM to 01:00 PM	https://meet.google.com/hia-njay-jbc or Open Google Meet and enter this code: hia-njay-jbc or https://tinyurl.com/epension1
6.	पुलिस विभाग (केवल कोटा, जोधपुर, उदयपुर एवं बीकानेर संभाग के अधीन कार्यालय)	21-06-2022 11:30 AM to 01:00 PM	https://meet.google.com/hia-njay-jbc or Open Google Meet and enter this code: hia-njay-jbc or https://tinyurl.com/epension1
7.	अन्य सभी विभाग	22-06-2022 11:30 AM to 01:00 PM	https://meet.google.com/hia-njay-jbc or Open Google Meet and enter this code: hia-njay-jbc or https://tinyurl.com/epension1

भवदीय

(संजय सोलंकी)
निदेशक

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(बीमा/पेंशन) विभाग, जयपुर, राज. को सूचनार्थ।
2. श्री जितेन्द्र वर्मा, राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. शासन सचिवालय, जयपुर ।
3. श्री योगेश सिंह परमार, तकनीकी निदेशक, NIC, जयपुर को उपरोक्त **virtual** प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसार प्रशिक्षण देने के लिए निर्देशित किया जाता है।

निदेशक